न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 1294–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–02–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार बैरागढ जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 36/ए–12/12–13

.....

लक्ष्मीदेवी विक्योमल सर्राफ एजूकेशनल
सोसायटी टैगोर वार्ड, गांधी नगर भोपाल
द्वारा सचिव रमेश हिंगोरानी
पुत्र देवनदास हिंगोरानी, अर्जुन वार्ड,
गांधी नगर भोपाल.

..... आवेदक

विरूद्ध

1–विमान पत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
भा.वि.प्रा.राजा भोज विमानतल,
भोपाल.
2–सम्पदा अधिकारी,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भा.वि.प्रा.राजा भोज विमानतल
भोपाल म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस.पी.शुक्ला, अभिभाषक–अनावेदक क्र.1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 21/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बैरागढ जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 139/1/1, 137 एवं 138 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ–12/2012–13 दर्ज कर दिनांक 27–2–13 को पुलिस बल को लेकर सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिस भूमि को अपना बताकर सीमांकन कराया गया है वह राज्य शासन द्वारा अदला–बदली में नजूल को दी जाकर अनावेदक कमांक 1 को अन्य भूमि दे दी गई है, अतः इस प्रकरण में सीमांकन का विवाद नहीं रह जाता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 139/1 का पट्टा जीव सेवा संस्था को दिया गया था न कि आवेदक लक्ष्मीदेवी विक्योमल सर्राफ एजूकेशनल सोसायटी टैगोर वार्ड, गांधी नगर भोपाल को, अतः सर्वे कमांक 139/1/1 में आवेदक के स्वत्व निर्मित नहीं होने के उपरांत भी निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूम सर्वे कमांक 139/1/1 के रकबा 21.46 एकड़ भूमि में से 0.27 एवं 0.30 एकड़ पर आवेदक द्वारा अवैध अतिकमण किया गया है, इसलिये भी उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर उनका स्वत्व होने के तथ्य को साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का स्वत्व होना प्रमाणित नहीं है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि है, इसलिये उन्हें अपनी भूमि का सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और आवेदक द्वारा अनावेदकगण की भूमि के सीमांकन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आधारहीन है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जिला न्यायाधीश भोपाल से भी दिनांक 14–12–2015 को निर्णय हो चुका है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2013 स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बैरागढ जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर